10-3-22	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए सपठित धारा 136 एलआर एक्ट के तहत वर्ष 2018 में प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली दिनांक 20–02–2019 से दिनांक 29–01–2020 तक स्टेट के जवाब में जैरकार चल रही थी। अपीलांट/वादी के वादपत्र में स्टेट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व दिनांक 26–02–2020 को अपीलांट/वादी का वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अपीलांट/वादी द्वारा दिनांक अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र को रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08–03–2021 को अपीलांट/वादी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र लगभग एक वर्ष के अन्राल के बाद प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में वादपत्र को रेस्टोर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उन्होनें इस संबंध में आगे कथन किया कि चूंकि वर्ष 2020 के मार्च माह के उपरान्त सम्पूर्ण देश में कोविड–19 के कारा लॉकडाऊन लगा हुआ था तथा बाद की अवधि में केवल मात्र अत्यावश्यक कार्य व पक्षकार की उपस्थिति पर पाबन्दी लगी हुई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों में स्थननीय बार द्वारा भी कार्य स्थगित रखा गया था। ऐसी स्थिति में उक्त अवधि में रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सका था। अदालत मातहत के समक्ष भी यह तथ्य प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपीलांट्/वादी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि को लेकर अपीलांट् के अधिकारों का निर्धारण वादपत्र के माध्यम से ही होना है। यदि अपीलांट/वादी के वादपत्र को रेस्टोर नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी अपने अधिकार जिसके लिये वह लम्बी अवधि से कानूनी लड़ाई लड़ता आ रहा है, से वंचित हो जायेगा तथा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार साबित नहीं कर पायेगा। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षणा को ध्यान में रखते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:01:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्देश प्रदान किये जावे के वे उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र को रेस्टोर करते हुए गुणावगुण पर वादपत्र का निर्धारण करें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट/वादी के निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट/वादी का वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था। उक्त आदेश को निरस्त करवाने व वादपत्र को रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र अपीलांट/वादी द्वारा एक वर्ष उपरान्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट/वादी द्वारा एक वर्ष के अन्तराल के उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में विलम्ब से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद रेस्टोर करना उचित नहीं माना है। अतः अपीलांट् इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 19–12–2018 को वादग्रस्त भूमि मौजारोही किशनपुरा के खसरा नम्बर 49 तादादी 576.01 बीघा एवं 2.07 गैरमुमकिन कुल 578.08 बीघा भूमि के बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली निरन्तर स्टेट के जवाब में निर्धारित चली आ रही थी। दिनांक 26–02–2020 को अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 08–03–2021 को अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट/वादी द्वारा एक वर्ष के अन्तराल के उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है अतः वादपत्र को रेस्टोर किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र स्टेट के जवाब हेतु निर्धारित चल रहा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि स्टेट से जवाब प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:01:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करते हुए उनके समक्ष जैरकार वादपत्र का गुणावगुण पर निर्धारण किया जाता। परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त वादपत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। उक्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु अपीलांट्/वादी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र एक वर्ष की अवधि के उपरान्त प्रस्तुत किया गया। चूंकि वर्ष 2020 के उपरान्त से ही निरन्तर सम्पूर्ण देश में कोविड–19 के कारण लॉकडाऊन चल रहा था तथा तत्पश्चात् पक्षकारों की न्यायालय में उपस्थिति पर पर प्रतिबन्ध रहा तथा स्थानीय बार द्वारा भी माननीय सर्वोच्य न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कार्य स्थगित रखे जाने के कारण निर्धारित समयावधि में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत होता है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी मामलें का गुणावगुण पर निर्धारण किया जाना चाहिए नाकि मामलें को फौरी तौर पर निर्धारित किया जावे। ऐसीस्थिति में अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलांट्/वादी के वादपत्र को रेस्टोर करते हुए वादपत्र पर स्टेट का यथाशीध्र जवाब प्राप्त करते हुए गुणावगुण पर निर्धारण करें। अपीलांट्/वादी को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है वे अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 13–04–2022 को प्रस्तुत होते हुए अपना मत व्यक्त करें।

(र[illegible] चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:01:39 IST
Reason: SelfAttested